न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प, भोपाल

R1487-PBR/17 निगरानी क्रमांक- /2017

मायाराम आयु-लगभग 55 वर्ष
पुत्र स्व0 गिरधारीलाल निवासी ग्राम
कानासैया, तह. हुजूर जिला भोपाल -----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

रामचरण आयु-62 वर्ष व नारायणसिंह
आयु-50 वर्ष पुत्र सरदारसिंह निवासी-
ग्राम कानासैया तह. हुजूर जिला भोपाल -----अनावेदक/प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्ता की और से माननीय अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजूर जिला भोपाल द्वारा अपील प्र.क्र. 130/अपील/15-16 मायाराम वि0 रामचरण व अन्य में धारा-5 अवधि विधान में पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 से परिवेदित होकर निम्न वैधानिक आधारो तथ्यो पर निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

1- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि और प्रक्रिया के विरूद्ध पारित होने से निरस्त होने योग्य है ।

2- यह कि माननीय अधि. न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरीत आदेश पारित कर वैधानिक भूल की है के कारण भी पारित आदेश निरस्त होने योग्य है ।

3- यह कि मान0 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में दर्शाये तथ्यो का विपरीत विवेचन कर आवेदन निरस्त कर और न्याय दृष्टांतो पर ध्यान न देकर अभिलेख प्रस्तुत होने के बाद भी उसको पढा नही गया और उसका विपरीत विवेचन कर पारित आदेश निरस्त होने योग्य है ।

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने तहसीलदार तह. हुजूर जिला भोपाल द्वारा नामांतरण पं.क्र. 14 ग्राम कानासैया में पारित नामांतरण आदेश को प्रश्नगत कर अपील पेश की थी और बताया गया था कि उक्त नामांतरण विधि विपरीत है कोई भी नामांतरण वसीयत नामे के साक्षीगण का परीक्षण किये बिना वसीयत नामे को सिद्ध नही माना जा सकता,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1487-पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एन0मालवीय एवं अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र साहू अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	